124

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 877—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—12—2015 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला—पन्ना के प्रकरण क्रमांक 01/2015—16/पुनरीक्षण

.....

दीप पिता उमा शंकर
निवासी— ग्राम लिलवार तहसील पवई
जिला—पन्ना हाल निवासी— माधव विहार रीवा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक शासन के अभिभाषक

.....

आदेश

(आज दिनांक 12-1-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय न्यायालय कलेक्टर, जिला—पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—12—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने नायब तहसीलदार पवई, जिला—पन्ना के न्यायालय में मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा—89 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि ग्राम—लीलवार पटवारी हल्का बछौन्द की भूमि खसरा नम्बर 22/1 रकबा 1.789 हैक्टेयर मध्यप्रदेश शासन की तथा खसरा नम्बर 22/2 रकबा 13.006 हैक्टेयर भूमि निर्भयराम ब्राहम्ण के स्वत्व की भूमि थी। खसरा वर्ष 83—84 से 86—87 का प्रस्तुत करते

हुये बताया कि नक्शे में दोनों नम्बर अलग–अलग कायम नहीं थे। पूरा खसरा नम्बर–22 ही नक्शे में दिखाया गया था। इसके लिये नक्शे की प्रति भी संलग्न की गई।

3/ भूमिस्वामी निर्भयराम की भूमि सर्वे क्रमांक 22/2 से बन्दोबस्त की कार्यवाही में खसरा नम्बर 101 रकबा 7.01 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 107 रकबा 4.56 हैक्टेयर निर्मित किये गये। नये नम्बरों के निर्माण के दोनों खसरा नम्बरों का रकबा 11.57 हैक्टेयर कर दिया गया, जबकि पुराने खसरा नम्बर 22/2 का रकबा 13.006 हैक्टेयर था। इसी प्रकार की त्रुटि शासकीय बंजर भूमि के पुराने खसरा नम्बर 22/1 के निर्माण में की गई खसरा नम्बर 22/1 का बन्दोबस्त के पूर्व रकबा 1.789 हैक्टेयर था। बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 22/1 से खसरा नम्बर–98 बनाया गया। लेकिन त्रुटिवश उसका रकबा जो पहले 1.789 हैक्टेयर अर्थात 4.42 एकड़ था, उसे 4.43 हैक्टेयर कर दिया गया। आवेदन में कहा गया कि खसरा नम्बर 22/1 का रकबा 4.42 एकड़ के स्थान 4.43 हैक्टेयर कर दिया गया है। इस तथ्य के समर्थन में अधिकार अभिलेख फॉर्म के प्रस्तुत किये गये।

4/ आवेदक ने अपने आवेदन में आगे तथ्य बताते हुये कहा कि खसरा नम्बर 22/2 का सम्पूर्ण रकबा आवेदक की मां ने भूमि स्वामी से सन् 1980 में करार द्वारा खरीद लिया था। उस समय से सम्पूर्ण रकबा आवेदक की मां एवं आवेदक के आधिपत्य में है। इन तथ्यों के आधार पर प्रार्थना की गई थी कि बन्दोबस्त के पूर्व खसरा नम्बर 22/1 एवं 22/2 से निर्मित खसरा नम्बरों के रकबे मे सुधार करते हुये पुर्वानुसार रकबा दर्ज किया जावे।

5/ आवेदक के इस आवेदन पर तहसील न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्व किया एवं राजस्व निरीक्षक से तथ्यों के संबंध में जांच प्रतिवेदन मंगाया । राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 25.07.98 को अपना प्रतिवेदन दिया, जिसमें बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेखों की जांच करने के बाद प्रतिवेदन किया कि खसरा नम्बर 22/1 एवं 22/2 से निर्मित खसरा नम्बरों के रकबे में त्रुटि हुयी है। अतः राजस्व निरीक्षक ने अनुशंसा की, कि पुराने खसरा नम्बर 22/1 से निर्मित नये खसरा नम्बर 98 में से 98/1 रकबा 1.79 हैक्टेयर पूर्वानुसार म.प्र. शासन तथा 98/2 का निर्माण कर उसका रकबा आवेदक के नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित किया जाना उचित होगा । तहसीलदार पवई ने राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.09.98 को आवेदक के आवेदन को स्वीकार किया एवं उसके अनुसार पटवारी अभिलेख दुरूस्त करने का आदेश दिया ।

6/ तहसीलदार पवई द्वारा पारीत आदेश दिनांक 15.09.1998 को कलेक्टर जिला–पन्ना ने स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाही करते हुये विवादित आदेश निरस्त किया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने यह निगरानी का आवेदन प्रस्तुत किया है ।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि कलेक्टर ने जो कारण बताओं नोटिस दिया था, उसमें तहसीलदार के आदेश के संबंध में केवल यह टिप्पणी की गयी थी कि तहसीलदार ने आदेश विधि विरूद्ध एवं अधिकारित रहित आदेश से आपका नाम दर्ज किया है, कारण बताओ नोटिस में कोई विस्तृत आधार अथवा कारण नहीं दर्शाया था । कारण बताओ नोटिस स्पष्ट होना चाहिये, जिससे पक्षकार अपना पक्ष समर्थन उचित रूप से कर सके। कारण बताओ नोटिस में कहीं यह उल्लेख नहीं था कि तहसीलदार का आदेश क्यों अवैधानिक है एवं उन्हें आवेदक के आवेदन का निराकरण करने का विचाराधिकार क्यों नहीं था । उनका कहना है कि आवेदक ने संहिता की धारा–89 के अंतर्गत आवेदन दिया था, धारा–89 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार में वैष्टित की गयी है इस कारण तहसीलदार का आदेश विचाराधिकार रहित नहीं था ।

8/ आवेदक के अभिभाषक का अगला तर्क है कि तहसीलदार ने दिनांक 15.09.1998 को आदेश पारित किया था एवं कलेक्टर ने दिनांक 27.11.2015 को अर्थात 17 साल की लम्बी अवधि के पश्चात स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की है । 17 साल की अवधि के बाद स्वयंमेव पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जाना किसी भी दशा में उचित नहीं कहा जा सकता । स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाही उचित समय के अन्दर ही की जा सकती है इस बिन्दु पर अभिभाषक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र.वीकली नोट्स–26, 1990 रेवेन्यू निर्णय 407,1996 रेवेन्यू निर्णय 80, 1997 रेवेन्यू निर्णय 219 के अतिरिक्त 2010 (4) म.प्र. लॉ जनरल 178 का अध्यतन न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने उक्त न्याय दृष्टांतो में स्वंय पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जो विधि स्थापित की है उनको देखते हुये 17 साल की अवधि के बाद कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विचाराधिकार रहित आदेश की परिभाषा में आता है।

9/ आवेदक के अभिभाषक ने कलेक्टर के आदेश का अवलोकन कराते हुये तर्क दिया कि कलेक्टर ने आवेदक द्वारा दिये गये मूल आवेदन के तथ्यों का अपने आदेश में पूरा उल्लेख

वर्णन किया है लेकिन तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने के लिये केवल यह लिखा है कि विचारोउपरांत न्यायालय यह पाता है कि अनावेदक का उत्तर संतोषजनक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं अधिकारिता रहित होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि कलेक्टर ने अपने आदेश में इस बिन्दू पर एक शब्द भी नहीं लिखा है कि आवेदन ने जो तथ्य अपने आवेदन में लिखे थे एवं जिसे जांच के बाद तहसीलदार ने स्वीकार किया था, उसमें कौन सा तथ्य झूठा अथवा राजस्व अभिलेखों पर आधारित नहीं है । उनका तर्क है कि राजस्व अभिलेखों में बन्दोबस्त के पहले आवेदक की भूमि का जो रकबा था उतना रकबा ही तहसीलदार के आदेश से पूरा किया गया है। शासन की एक इंच भूमि भी प्रभावित नहीं हुई है। उनका तर्क है कि यदि राजस्व कर्मचारियों अथवा अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करने एवं कार्यवाही में कोई त्रुटि की है तब उसे सुधारने के लिये न्यायालय सक्षम तथा आवेदक ने सक्षम न्यायालय में आवेदन दिया था।

10/ आवेदक के अभिभाषक का अगला तर्क का है कि कलेक्टर का आदेश न्यायालयीन आदेश नहीं कहलाया जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 1987 जे.एल.जे. 728 एवं 1986(2) म.प्र. वीकली नोट्स 251, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत अवलोकन के लिये प्रस्तुत किया, जिनमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि न्यायीक अथवा अद्धन्यायीक आदेश कारणों पर आधारित होना चाहिये । यदि आदेश में तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया गया हो, लेकिन परिणाम पर पहुॅचने के लिये कोई कारण नहीं दिया गया हो, तब ऐसे आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश की स्थिति ऐसी ही है। अतः उसे निरस्त किया जाये। अंत में उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने तथ्यों कि जांच कराने के लिये राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया था। राजस्व निरीक्षक ने बन्दोबस्त के पहले एवं बाद के खसरा प्रविष्टियों तथा बन्दोबस्त के बाद आवेदक के रकबे के संबंध में हुई त्रुटि की विस्तृत जांच के बाद अपना प्रतिवेदन दिया था। इस कारण तहसीलदार का आदेश न्यायोचित एवं विधि सम्मत आदेश था, जिसे केवल अवैध कहकर निरस्त करने में कलेक्टर ने विवेक तथा विचाराधिकार का प्रयोग किये बिना निरस्त किया । अतः उनका कहना है कि कलेक्टर का आदेश मनमाना एवं न्यायोचित न होने से निरस्त किया जाये।

11/ अनावेदक की ओर से शासकीय अभिभाषक ने अपने तर्क में कहा कि तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश था। शासन को क्षति पहूॅचाई गयी है। इस कारण कलेक्टर ने उसे निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है।

12/ आवेदक एवं शासन की ओर से प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद ये न्यायालय इस निगरानी आवेदन को स्वीकार किये जाने योग्य पाता है। आवेदक के अभिभाषक ने कारण बताओ नोटिस का सर्वेप्रथम उल्लेख किया। कारण बताओ नोटिस को देखने से ही प्रकट होता है कि उसमें तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने का कोई तर्क संगत एवं तथ्यों पर आधारित कारण नहीं दर्शाया गया है । किसी आदेश को अवैध एवं विचाराधिकार रहित कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है। कारण बताओ नोटिस में प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख तथा किसी आदेश को निरस्त करने के लिये पर्याप्त कारण दिये जाना आवश्यक है।

13/ जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, राजस्व अभिलेखों को देखने से प्रथम दृष्टि में ही स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक की भूमि का बन्दोबस्त के पहले खसरा नम्बर 22/2 था और उसका रकबा 13.006 हैक्टेयर था । बन्दोबस्त के बाद खसरा नम्बर 22/2 से खसरा 101 और 107 बनाये गये, लेकिन उनका रकबा संयुक्त रूप से 11.57 हैक्टेयर ही रह गया । यह रकबा क्यों कम हुआ इसका कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार शासकीय सर्वे नम्बर 22/1 का रकबा जो बन्दोबस्त के पहले 1.789 हैक्टेयर था अर्थात् 4.42 एकड़ था, वह बन्दोबस्त के बाद 4.43 हैक्टेयर कर दिया है, यह त्रुटि जांच में भी पाई गई । इस कारण तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन के बाद जो आदेश दिया था, वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं कहा जा सकता । कलेक्टर ने उसे अपने आदेश में तथ्यों की विवेचना करके गलत पाया भी नहीं है।

14/ प्रकरण के सम्पूर्ण अवलोकन एवं ऊपर दिये गये तर्कों से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने जो आवेदन दिया था, उसके आधार जांच में भी सही पाये गये। तहसीलदार का आदेश संहिता की धारा–89 की शक्तियां शासन द्वारा तहसीलदार को प्रदान की गई है, इसलिये उसे विचाराधिकार रहित नहीं कहा जा सकता। आवेदक के अभिभाषक ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्याय दृष्टांत दिये है, उनके प्रकाश में कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। 17 वर्षों की लम्बी अवधि किसी भी दशा में स्वयंमेव पुनरीक्षण के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये युक्ति युक्त अवधि नहीं कही जा सकती । कलेक्टर को यह भी देखना चाहिये था कि क्या उनके संज्ञान में जो तथ्य लाया गया है वह स्वयंमेव पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये पर्याप्त है अथवा नहीं।

दर्शित परिस्थितियों एवं उपर की गई विवेचना के अनुसार यह निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं कलेक्टर, जिला–पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक 01/20015–16 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 अपास्त किया जता है. परिणामस्वरूप तहसीलदार पवई का आदेश दिनांक 15–09–1998 यथावत रहेगा. तहसीलदार इस आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करे तथा आवेदक को ऋण पुस्तिका प्रदान करे.।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर